

150
YEARS OF
CELEBRATING
THE MAKATHA



ESIC
Chinta Se Mukti

DIARY
2019

ESIC



Ensuring a happier
& healthier
future for a new India

“Swachhhta hi Sewa” Campaign observed by ESIC





ESIC Wins 'ISSA GOOD Practice Award, Asia & the Pacific 2018'

FEB



ईएसआई योजना के अंतर्गत मिलने वाले हितलाभ



चिकित्सा हितलाभ: हम आपकी सभी चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रखते हैं।

ईएसआईसी बीमा योग्य रोजगार में शामिल होने की तिथि से स्वयं एवं परिवार के लिए उचित चिकित्सा देखरेख प्रदान करता है।



बीमारी हितलाभ: बीमारी के कारण अवकाश का मतलब आय अर्जन समाप्त होना नहीं है।

ईएसआईसी दो निरंतर हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक चिकित्सा छुट्टी के दौरान औसत दैनिक वेतन का 70 प्रतिशत नकद भुगतान करता है।



मातृत्व हितलाभ: हमारे हितलाभों के साथ आपके नवजात शिशु का स्वागत है।

ईएसआईसी मातृत्व छुट्टी के दौरान प्रसूति में 26 सप्ताह तक एवं गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक तथा कमीशनिंग माँ तथा दत्तक माँ को 12 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन का 100 प्रतिशत नकद भुगतान करता है।



निःशक्तता हितलाभ: निःशक्तता का मतलब आय अर्जन से अक्षमता नहीं है।

ईएसआईसी अस्थायी निःशक्तता के मामले में चोट ठीक होने तक और स्थायी निःशक्तता के मामले में जीवन भर निरंतर मासिक पेंशन का भुगतान करता है।



आश्रितजन हितलाभ: जो आप पर निर्भर हैं वह हम पर भी निर्भर हैं।

ईएसआईसी रोजगार के दौरान चोट के कारण मृत्यु के मामले में आश्रितजनों के बीच नियत अनुपात में मासिक पेंशन का भुगतान करता है।



बेरोजगारी भत्ता: रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है।

ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में अधिकतम 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद भत्ता प्रदान करता है।



वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल: वृद्धावस्था के बाद भी स्वस्थ जीवन का आनंद उठाएं

ईएसआईसी अपने ईएसआई अस्पतालों तथा औषधालयों में सेवानिवृत्त/सेवा पूरी कर चुके बीमाकृत व्यक्तियों के लिए चिकित्सा हितलाभ प्रदान करता है।



व्यावसायिक प्रशिक्षण: निःशक्तता का मतलब सम्पूर्ण कौशल की हानि नहीं है।

ईएसआईसी, रोजगार के दौरान चोट लगने से हुई निःशक्तता के मामले में वसूला गया वास्तविक शुल्क या ₹123/- प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करता है।



शारीरिक पुनर्वास: रोजगार के दौरान चोट लगने का अर्थ दैनिक आजीविका की हानि नहीं

रोजगार के दौरान चोट लगने के कारण शारीरिक निःशक्तता के मामले में बीमाकृत व्यक्ति जब तक कृत्रिम अंग केन्द्र में भर्ती रहता है, उसे ईएसआईसी अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की दर से भुगतान करता है।




अन्य हितलाभ:

प्रसूति व्यय: जहां क.रा.बी. चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां ईएसआईसी दो मामलों तक ₹5000/- प्रति मामले की दर से भुगतान करता है।



अंत्येष्टि व्यय: ईएसआईसी मृतक बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि के लिए मूल व्यय या अधिकतम ₹10,000/- का नकद भुगतान करता है।



Empowering the IPs 'ESIC – Chinta Se Mukti' Mobile App

- 'ESIC – Chinta Se Mukti' Mobile App available on UMANG App Platform of Govt. of India. Click on <https://goo.gl/BZUv9u> to download UMANG App
- IP can check ESI contribution history, personal profile, claim status, entitlement to ESIC benefits
- Knowledge bank on health topics and audio – visuals on benefits of ESI Scheme
- Facility to lodge ESIC related grievances




आशोधित आईएमपी योजना

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

धनवंतरी मोबाइल ऐप स्थानीय रूप से पैनलबद्ध निजी चिकित्सा व्यवसायियों, दवा विक्रेताओं और निदान केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बीमाकृत व्यक्ति और उनके परिवार को सक्षम बनाता है।



**Dispensary - cum - Branch Office
Ghatshila (Jharkhand)**



One Stop Delivery of Services

Dispensary - cum - Branch Office (DCBO)

- **Both dispensary and branch office available under one roof**
- **Outpatient services and cash benefit payments to the IPs at one location**
- **Referrals for secondary care, reimbursement of IPs bills, payment of bills of empaneled chemist/diagnostic center and to provide help desk services to IPs/employers**



स्वास्थ्य पासबुक

एक नज़र में आपके उपचार का ब्योरा

स्वास्थ्य पासबुक का उपयोग लाभार्थी की पहचान, नैदानिक जाँच और बीमा चिकित्सा व्यवसायी के परामर्श सलाह का रिकॉर्ड रखने के लिए सरल उपयोग प्रक्रिया के रूप में किया जाता है।



Relief to Workers

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna

- **Scheme to benefit workers covered under ESI Act, 1948**
- **Relief payable in cash directly to the bank account in case of IP being rendered unemployed while searching for new job**



क.रा.बी.नि.
E S I C

ईएसआईसी टोल फ्री नंबर **1800 11 2516**
हेतु आईवीआर/हेल्प डेस्क सुविधा:
अपने प्रश्नों/शिकायतों का त्वरित निवारण करें



SEP

- कॉल करने वालों के प्रश्नों पर ध्यान देकर, जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
- शिकायतों/प्रश्नों को प्राप्त किया जाता है और संभावित शिकायतों/प्रश्नों का मौके पर ही निवारण
- अधिक समय लेने वाली शिकायतों के लिए विशिष्ट टिकट नंबर दिया जाता है और शीघ्र निवारण के लिए ईएसआईसी के पीजी पोर्टल को अग्रेषित किया जाता है।



A View of ESIC Medical College & Hospital
Faridabad (Haryana)

Medical Education

Bridging the Gap of Qualified Medical Professional

- 6 ESIC Medical Colleges offering MBBS course with 100 seats in each college at Rajaji Nagar, Bengaluru; K.K. Nagar, Chennai; Joka, Kolkata; Gulbarga (Karnataka); Faridabad (Haryana) and Sanath Nagar, Hyderabad
- Dental Colleges at Rohini (Delhi) and Gulbarga (Karnataka) offering BDS course
- P.G. courses at 6 PGIMSRs at Rajaji Nagar, Bengaluru; K.K. Nagar, Chennai; Joka, Kolkata; Manicktala, Kolkata; Basaidarapur (New Delhi) and Andheri(E), Mumbai
- Nursing Colleges at Indira Nagar, Bengaluru and Gulbarga (Karnataka)

जन शिकायत निवारण तंत्र अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें



- ईएसआईसी से संबंधित शिकायत वेबसाइट www.esic.in/web/esic/lodge-a-grievance या www.esic.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र जन शिकायत मॉड्यूल 2.0 प्रचालन में।
- आवंटित शिकायत संख्या, शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने में सुविधा।
- मुख्यालय स्तर पर, शिकायत ई-मेल: pg-hqrs@esic.nic.in पर भेजी जा सकती है।
- शिकायतों के मौके पर निवारण के लिए क्षे.का./उ.क्षे.का. तथा ईएसआईसी अस्पतालों में प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार और शाखा कार्यालयों में प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को **सुविधा समागम** का आयोजन।
- शिकायत ईएसआईसी टोल फ्री नंबर 1800-11-2526 के आईवीआर/हेल्प डेस्क के माध्यम से भी दर्ज तथा मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 1800-11-3839 की भी सुविधा।

ESI Benefits

BEYOND MEDICAL CARE, WE ENSURE FULL SOCIAL SECURITY

ESI SCHEME BENEFITS



Medical Benefit :

Reasonable Medical Care for self and family from primary Medical Care to Super Speciality.



Sickness Benefit :

Paid at the rate of 70% of average daily wages up to 91 days in 2 consecutive benefit periods.



Maternity Benefit :

100% of average daily wages up to 26 weeks in confinement and 6 weeks in case of miscarriage.



Disablement Benefit :

For permanent total disablement/ temporary disablement - 90% of average daily wages. For permanent partial disablement - Proportionate to the loss of earning capacity as determined by the medical board.



Dependants' Benefit :

90% of average daily wages sharable in fixed proportions among dependents in case of death due to employment injury.



Unemployment Allowance :

In case of involuntary loss of employment or permanent invalidity due to non-employment injury - paid for a duration of maximum 24 months.



Old Age Medical Care :

Medical benefits for retired / superannuated Insured Persons in ESI Hospitals.



Vocational Training :

Payment of actual fee charged or ₹ 123/- per day in case of disablement due to employment injury.



Physical Rehabilitation :

100% of average daily wages in case of Physical disablement due to employment injury.



Confinement Expenses :

₹ 5000/- per case (Subject to maximum two cases) where ESI medical facilities are not available.



Funeral Expense :

Actual expenses subject to a maximum of ₹ 10,000/- for funeral of the deceased insured person.



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

www.facebook.com/esichq [@esichq](https://twitter.com/esichq)